

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 70/2018 प्रार्थना पत्र

दलीचन्द बैरागी

// बनाम //

हीरादास बैरागी व अन्य



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 24.06.2020

मूलवाद में प्रस्तुत वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। तथा प्रतिवादी नं0 1 हीरादास भी अपना काउन्टर क्लेम इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराने में अपनी सहमति प्रदान की। प्रतिवादी नं0 1 ने अपना काउन्टर क्लेम खारिज कराने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुना गया। प्रार्थी का विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्पीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-212 इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

